2014 का विधेयक संख्यांक 94

[दि कान्स्टिट्यूशन (शेड्यूल्ड कास्ट्स) आर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014 है । संक्षिप्त नाम ।

सं0 आ0 19 5 2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में,-- संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

(क) भाग 8--केरल में,--

(i) प्रविष्टि 46 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,--

"46. पल्लुवन, पुल्लुवन";

(ii) प्रविष्टि 61 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,--

"61. तण्डान (उन ईयूवास और तियास को छोड़कर, जो तत्कालीन कोचीन और मालाबार क्षेत्रों में तण्डान के नाम से ज्ञात हैं) और (बढ़ई जो तत्कालीन कोचीन और ट्रावनकोर राज्य में तच्चन के नाम से ज्ञात हैं) और तच्चर (बढ़ई से भिन्न)";

(ख) भाग 9--मध्य प्रदेश में, प्रविष्टि 18 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,--

"18. दहाइत, दहायत, दहात, दहिया";

(ग) भाग 13--उड़ीसा में,--

(i) "उड़ीसा" के स्थान पर, "ओडिशा" रखें ;

(ii) प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,--

"2. अमान्त, अमात, दंडछत्र माझी, अमाता, अमाथ";

(iii) प्रविष्टि 13 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,--

"13. बेढिया, बेजिया, बाजिया";

(iv) प्रविष्टि 41 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,--

"41. जग्गली, जग्गिली, जगली";

(v) प्रविष्टि 69 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,--

"69. पाण, पाणों, बुना पाण, देसुआ पाण, बुना पाणों";

(घ) भाग 17--त्रिपुरा में,--

(i) प्रविष्टि 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,--

"4. चमार, मूची, चमार-रोहिदास, चमार-रविदास";

(ii) प्रविष्टि 7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,--

"7. धोबा, धोबी" ;

(iii) प्रविष्टि 12 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,--

"12.जेलेया कैबर्त, झालो-मालो";।

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 का संशोधन ।

3. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 की अनुसूची में, प्रविष्टि 3 का लोप किया जाएगा । सं0 आ0 110

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) उपबंधों के अनुसार, विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट करते हुए छह राष्ट्रपतीय आदेश जारी किए गए थे । इन आदेशों को, संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अधीन अधिनियमित संसद् के अधिनियमों द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है ।

2. केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा और सिक्किम की राज्य सरकारों ने, पहले चार राज्यों की दशा में, अनुसूचित जातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करके और सिक्किम की दशा में एक प्रविष्टि को अपवर्जित करके अनुसूचित जातियों की सूची में कतिपय उपांतरणों का प्रस्ताव किया है । भारत के महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्रस्तावित उपांतरणओं पर अपनी-अपनी सहमति संप्रेषित कर दी है ।

3. उपरोक्त परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए, निम्नलिखित दो संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेशों का संशोधन करना आवश्यक है, अर्थात् :--

(i) केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा के संबंध में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 ; और

(ii) संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
5 अगस्त, 2014

थावर चन्द गहलोत

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा राज्यों के लिए अनुसूचित जातियों की सूची में प्रविष्टियों की बाबत कतिपय समानार्थी समुदायों को सम्मिलित करने के लिए है । इससे अनुसूचित जातियों के विकास के लिए बनाई गई स्कीमों के फायदों के मद्दे, जिनके लिए इस विधेयक के परिणामस्वरूप, नए जोड़े गए समुदायों के व्यक्ति हकदार हो जाएंगे, कुछ अतिरिक्त आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा ।

2. जातिवार आंकड़ों के उपलब्ध न होने के कारण, ऐसे संभाव्य खर्च का, जो इसके मद्दे उपगत किया जाना होगा, किसी भी रूप में स्पष्ट अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

उपाबंध

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (सं0 आ0 19) से उद्धरण

*   *   *   *   *

भाग 8--केरल

*   *   *   *   *

46. पल्लुवन

*   *   *   *   *

61. तण्डान (उन ईयूवास और तियास को छोड़कर, जो तत्कालीन कोचीन और मालाबार क्षेत्रों में तण्डान के नाम से ज्ञात हैं) और (बढ़ई जो तत्कालीन कोचीन और ट्रावनकोर राज्य में तच्चन के नाम से ज्ञात हैं)

*   *   *   *   *

भाग 9--मध्य प्रदेश

*   *   *   *   *

18. दहाइत, दहायत, दहात

*   *   *   *   *

भाग 13--उड़ीसा

*   *   *   *   *

2. अमान्त, अमात, दंडछत्र माझी

*   *   *   *   *

13. बेढिया, बेजिया

*   *   *   *   *

41. जग्गली

*   *   *   *   *

69. पाण, पाणों, बुना पाण, देसुआ पाण

*   *   *   *   *

भाग 17--त्रिपुरा

*   *   *   *   *

4. चमार, मूची

*   *   *   *   *

7. धोबा

*   *   *   *   *

12. जेलेया कैबर्त

*   *   *   *   *

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 (सं0 आ0 110) से उद्धरण

*   *   *   *   *

अनुसूची

*   *   *   *   *

3. माझी (नेपाली)

*   *   *   *   *

GMGIPMRND—2062LS(CRC)—6-8-2014.